



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-द्वितीय
नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ, 226016



पत्रांक--756

/ बरेली-39 / का०प०क्र०-0052

दिनांक-12/04/2024

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता, रूहेलखण्ड-04,
मझोला योजना सं०-4, भाग-2, मुरादाबाद,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
द्वितीय तल, कामर्शियल काम्पलेक्स,
शिवाजी चौक, राजेन्द्र नगर, बरेली।

विषय:- परिषद की सिविल लाइन्स योजना सं०-02, भाग-2 बदायूँ में रेरा के प्रथम चरण के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु ले-आउट प्लान की वैधता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया आपके पत्रांक-430/रेरा III/17 दिनांक-12-03-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से परिषद की सिविल लाइन्स योजना सं०-02, भाग-2 बदायूँ में रेरा के प्रथम चरण के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु ले-आउट प्लान की वैधता के सम्बन्ध में अवगत कराने का अनुरोध किया है।

अतः अवगत कराना है कि:-

- 1- ले-आउट प्लान सं०-APD/UN-2/BADAUN/L.O.P.(EXT.)/YOJNA-2 02-06-2001 दिनांक-28-01-2021 को दिनांक-10-02-2021 को आवास आयुक्त(म०) से स्वीकृत है, इस ले-आउट की वैधता तिथि 10-02-2021 से 09-02-2026 तक है।
- 2- ले-आउट प्लान सं०-APD/UN-2/BADAUN/Y-2/PH-2/LOP(Ext)(SFHouse Numbering/344/01 दिनांक-11-01-2022, आवास आयुक्त(म०) द्वारा दिनांक-27-01-2022 को अनुमोदित किया गया है, इस ले-आउट की वैधता तिथि-27-01-2022 से 26-01-2027 तक है।

उक्त सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(मुकेश कुमार रूहेला)

वास्तुविद नियोजक

प०सं०-756

/ उक्त /

दिनांक- 12/04/24

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, रूहेलखण्ड वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ऑफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-5, ऑफिस काम्पलेक्स, मझोला योजना सं०-4, भाग-2 मुरादाबाद।

Mr
o/c
वास्तुविद नियोजक